संख्या-18/2016/एस-3-194(3)/दस-2016-ब(8)/2015

प्रेषक,

राज रतन,
उपसचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
जवाहर भवन,लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषय:-अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 के बजट को विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-63 के "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय हेतु संलग्नक-1 के अनुसार मदवार प्राविधानित कुल रू0 2,57,03,25,000/-(दो अरब सत्तावन करोड़ तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- संलग्नक-2 मे उल्लिखित मदवार धनराशियों का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 की अवधि में जो व्यय किया जाये वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा ।

3- इस संबंध में यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आवंटित धनराशि का व्यय उक्त कार्यालय-संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों/निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी अन्य आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जिन मदों पर शासन की स्वीकृति अपेक्षित है, उन मदों पर धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति शासन से प्राप्त कर ली जाये।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

खजाना स्थापना-03-मुख्य"- के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा तत्संबंधी उ0प्र0 वित्तीय अधिनियम, 2016 द्वारा प्राधिकृत निधि से वहन किया जायेगा ।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(राज रतन )
उपसचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी ) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद,
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन )
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या 18/2016/ एस-3-194(3)/दस-2016-ब(8)/2015

दिनांक 11 अप्रैल,2016 का संलग्नक-3

समस्त जनपदीय कोषागार

अनुदान संख्या-63

लेखाशीर्षक - आयोजनेत्तर

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन धनराशि हजार रूपये में

097-खजाना स्थापना 03- मुख्य

| क्रमांक | मानक मद | 2016-17 में प्राविधानित धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 01- वेतन | 900000 |
| 2 | 02-मजदूरी | 700 |
| 3 | 03-महगाई भत्ता | 1224000 |
| 4 | 04-यात्रा व्यय | 8500 |
| 5 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 1500 |
| 6 | 06-अन्य भत्ते | 108000 |
| 7 | 07-मानदेय | 25000 |
| 8 | 08-कार्यालय व्यय | 36000 |
| 9 | 09-विद्युत व्यय | 18000 |
| 10 | 10-जल कर/जल प्रभार | 2000 |
| 11 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 8000 |
| 12 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 5000 |
| 13 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 4500 |
| 14 | 14-मोटर गाडियों का क्रय | 4725 |
| 15 | 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद | 10000 |
| 16 | 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओ के लिए भुगतान | 36000 |
| 17 | 17-किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व | 400 |
| 18 | 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयत्र | 5000 |
| 19 | 29-अनुरक्षण | 37000 |
| 20 | 42-अन्य व्यय | 200 |
| 21 | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 4000 |
| 22 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1000 |
| 23 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 45000 |
| 24 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 35000 |
| 25 | 49-चिकित्सा व्यय | 20000 |
| 26 | 51-वर्दी व्यय | 800 |
| | योग | 2540325 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

04-कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण धनराशि हजार रूपये में

0401-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवायें

16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान **रू0 10000**

पूँजी लेखा (आयोजनेत्तर)

(1) 4059-लोक निर्माण कार्य एवं पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 03-प्रदेश के विभिन्न कोषागारों एवं उपकोषागारों में विभिन्न निर्माण एवं नवीनीकरण कार्य 24-वृहत निर्माण कार्य रू0 20000

---

कुल योग- रू0 2570325

---

(रूपये दो अरब सत्तावन करोड़ तीन लाख पच्चीस हजार मात्र)

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।